

प्रारूप-8

(अनुसूची-3-11 (i) (ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

(चिकित्सा चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

बंध-पत्र

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी

मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ। मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।

मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

1. सीट लिविंग बॉण्ड-

- अ- मैं चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी।
- ब- यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा, महाविद्यालय, दतिया म.प्र. की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि रु0 30,00,000/- (रु0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता हूँ/देती हूँ अथवा चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिये जाने पर संबंधित संस्था में सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को देय होगा।

2. ग्रामीण सेवा बॉण्ड-

- अ- मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।
- ब- विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक वर्ष शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रु0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेतु) रु0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।
- स- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....